विज्ञापन संख्या (02/सेवा–01/2011–12)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

आयोग भवन, गुरुकुल–कांगड़ी, हरिद्वार–249404

दूरभाष : 01334–244143

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 05 जनवरी, 2012

विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि – 05 दिसम्बर, 2011

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन विभाग के अन्तर्गत **पशुचिकित्साधिकारी के रिक्त 143 पदों** तथा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत **चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग) के रिक्त 583 पदों** पर मोटे फुलस्केप कागज पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या घट/बढ़ सकती हैं। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विभाग संख्या का स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।** अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन परम्परागत आवेदन पत्र के कॉलम–10 में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या 79/2010 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग की सन्निरीक्षा नियमावली के अनुरुप सम्पादित की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त विज्ञापन के विषय में जानकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in/ पर भी प्राप्त की जा सकती है।

01. पदनाम – पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2

I. विभाग संख्या – सेवा–1/01

II. पदों की संख्या – 143 पद (उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु 55 पद, उत्तराखण्ड जनजाति हेतु 09 एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 35 पद आरक्षित)

क्र0सं0	श्रेणी	श्रेणी में कुल पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण					
			महिला आरक्षण 30%	पूर्व सैनिक 05%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 02%	विकलांग 03%	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी 10%	कुशल खिलाड़ी 04%
1.	सामान्य	44	13	02	01	01	04	02
2.	अनु0जाति	55	17	03	01	02	06	02
3.	अनु0जनजाति	09	03	00	00	00	01	00
4.	अ0पि0वर्ग	35	11	02	01	01	04	01
	योग	143	44	07	03	04	15	05

III. वेतनमान – ₹ 15600–39100/– ग्रेड पे – ₹ 5400/–

IV. पद का स्वरुप – राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त/अस्थायी तथा भविष्य में चलते रहने की सम्भावना।

V. आयु सीमा – 21 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को विद्यमान शासनादेश के अनुरुप छूट)।

VI. आयु गणना की निश्चायक तिथि – 01 जुलाई, 2011 निर्धारित है, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1990 से बाद एवं 02 जुलाई, 1976 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

VII. शैक्षिक अर्हताएं –

(क) अनिवार्य – (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उपाधि या समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम 1984

(अधिनियम सं0 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशुचिकित्सा अर्हता।

(दो) उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् में सम्यक् रुप से पंजीकृत हो।

(ख) अधिमानी – अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(3) स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि या उच्च अर्हता प्राप्त किया हो।

02. पदनाम – चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग)

I. विभाग संख्या – सेवा–1/02

II. पदों की संख्या – 583 पद (उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु 120 पद, उत्तराखण्ड जनजाति हेतु 23 एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 90 पद आरक्षित)

III. वेतनमान – ₹ 15600–39100/– ग्रेड पे – ₹ 5400/–

IV. पद का स्वरुप – राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त/अस्थायी तथा भविष्य में चलते रहने की सम्भावना।

V. आयु सीमा – 21 से 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को विद्यमान शासनादेश के अनुरुप छूट)। उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत संविदा के आधार पर अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर की गई सेवा की अवधि तक आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

VI. आयु गणना की निश्चायक तिथि – 01 जुलाई, 2011 निर्धारित है, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1990 से बाद एवं 02 जुलाई, 1971 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

VII. शैक्षिक अर्हताएं – (क) अनिवार्य – अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एम0बी0बी0एस0 के अतिरिक्त विशिष्टता के अनुसार विशेषज्ञ उपाधि तालिका के पदनाम के सम्मुख अंकित डिग्री/डिप्लोमा अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षिक अर्हता :–

क्र0सं0	विशेषज्ञ पदनाम	पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
1.	सर्जन	91	एम0एस0(जनरल सर्जरी)
2.	आर्थो सर्जन	65	एम0एस0 ऑर्थो/डी–ऑर्थ
3.	ई0एन0टी0 सर्जन	05	एम0एस0(ई0एन0टी0)/डी0एल0ओ0
4.	नेत्र सर्जन	16	एम0एस0(ऑप्थलमिक)/डी0ओ0एम0एस0
5.	फिजिशियन	82	एम0डी0 मेडिसिन
6.	एनेस्थेटिस्ट	87	एम0डी0(एनेस्थीसिया)/डी0ए0
7.	रेडियोलॉजिस्ट	78	एम0डी0(रेडियोलाजी)/डी0एम0आर0डी0
8.	स्त्री रोग विशे0	70	एम0एस0/एम0डी0(गायनोकालौजी/आब्स्ट्रेटिक्स)/डी0जी0ओ0
9.	बालरोग विशे0	52	एम0डी0(पीडियाट्रिक्स)/डी0सी0एच0
10.	पैथोलोजिस्ट	13	एम0डी0(पैथोलाजी)/डी0सी0पी0
11.	कार्डियोलॉजिस्ट	04	एम0डी0(मेडीसीन)/डिप–कार्ड
12.	डरमेटोलॉजिस्ट	05	एम0डी0(स्किन/वी0डी0)/डी0वी0डी0
13.	चेस्ट स्पेशलिस्ट	12	एम0डी0(चेस्ट)/डिप–चेस्ट
14.	साइकेट्रिस्ट	03	एम0डी0(साइकेट्रिस्ट)

नोट :– चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग) में सेवा में नियुक्ति से पूर्व उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ख) अधिमानी – अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

नोट : अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं (अनिवार्य/अधिमानी) एवं उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में सम्यक् रुप से पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पूर्ण होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थी इस विज्ञापन के **'परिशिष्ट–1'** में निर्दिष्ट परम्परागत आवेदन पत्र को टंकित अथवा मुद्रित कराकर आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भों को पूर्ण करते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित **''सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल–कांगड़ी, हरिद्वार 249404''** को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से (बैरंग माध्यम को छोड़कर) प्रेषित कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर हाथों–हाथ भी जमा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि **दिनांक 05 जनवरी, 2012** तक आयोग कार्यालय में **सायं 06:00 बजे तक** अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये किसी विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। **फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

आवेदन पत्र के साथ अवश्य होने चाहिये

(क) निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियॉ,
(1) आयु के प्रमाणीकरण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल प्रमाण पत्र।
(2) इण्टर मीडिएट अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र।
(3) निर्धारित अनिवार्य एवं अधिमानी अहर्ताओं तथा वांछित अनुभव (यदि लागू हो) की पुष्टि हेतु अंकपत्र एवं डिग्री/प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अहर्ताओं की प्रतियॉ।
(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर।
(ग) फार्मेट पर चिपका हुआ एक स्वसत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।
(घ) शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के विषय में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को आरक्षण निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ।
(च) पूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित होगा।
(छ) उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 2461/XXX(2)/ 2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।
(ज) किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक–2/2002, दिनांक 29 मार्च, 2003 में निर्धारित किया गया है।

नोट : अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुप का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेवसाइट www.ukpsc.gov.in/ पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

(01) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के

बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(02) अभ्यर्थियों को हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है।

(03) राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(04) वैवाहिक प्रास्थिति :–

(अ) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित शब्द – ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों,

या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी अन्य स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो।

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

(05) अधिकतम आयु सीमा में छूटः– **(क)** उत्तराखण्ड के **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग** से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश संख्याः 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005)

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग/निःशक्त** अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 10 वर्ष अधिक होगी। उत्तराखण्ड स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005)

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों हेतु उत्तराखण्ड के आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/पूर्व सैनिकों से संबन्धित ऐसे कार्मिक अधिकारी जिन्होंने जल/थल/वायु सेवा में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो, उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश संख्या–17/2/1981–कार्मिक–02 दिनांक : 28 फरवरी, 1985)

(घ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के **कुशल खिलाड़ियों** के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश– 22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985)

(ङ) **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों** के लिए शासनादेश संख्याः 1270/तीस–2 /2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 तथा शासनादेश संख्याः 776/XX(4)26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 एवं शासनदेश सं0–637/XX (4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

नोटः– अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम (कॉलम संख्या–10) में अपनी श्रेणियाँ /उपश्रेणियाँ अवश्य अंकित की जानी चाहिए, अन्यथा आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(06) आरक्षण :–

(1) ऊर्ध्वाधर आरक्षणः– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा (शासनादेश संख्याः 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्याः 254/कार्मिक–2/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002)।

(2) क्षैतिज आरक्षणः–(क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग,** उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथा संशोधित)–अधि0सं0: 133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009, दिनांक 16 मार्च, 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित् होगा।

''पूर्व सैनिक''से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा–मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी है :– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ''शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी

प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो–(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणह्रास (तीन) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

टिप्पणी :–विकलांग/निःशक्त आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता/निःशक्तता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के –(एक) पुत्र और पुत्री विवाहित या अविवाहित (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख)उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 2461/XXX(2)/ 2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। **मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।**

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 1144/ कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्याः 589/कार्मिक–2/2002, दिनांक 21 जुलाई, 2002 तथा शासनादेश संख्याः 1966/XXX (2)/2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) शासनादेश संख्याः 1739/बीस–4/2011–26/उ0आ0/2006, दिनॉक 05 अगस्त, 2011 के अनुसार चिन्हित **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को** राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक तथा शासनादेश संख्या–777/XX(4)/26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 के प्राविधानों के अनुसार 10 अगस्त, 2016 तक 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

शासनादेश संख्याः 4020/XX (4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गए अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से **निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य,** जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगाः–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं। (2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है। (3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य, को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धी विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी के चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे– (1) पत्नी (2) आश्रित पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

नोट :–(क) शासनादेशों के नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(ख) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक ऊर्ध्व श्रेणी के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण, उत्तराखण्ड महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 03%, (विकलांगता की तीनों श्रेणियों हेतु 1–1 प्रतिशत) उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10%, अनुमन्य होगा।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान समझे जाएंगे।

(घ) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(07) शुल्क : प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन–पत्र के साथ परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 130/–(₹ 100/– परीक्षा शुल्क + ₹ 30/– डाक शुल्क) है। किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये ₹ 90/– (₹ 60/– परीक्षा शुल्क + ₹ 30/– डाक शुल्क) है। उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला व उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क उनकी श्रेणी के आरक्षित वर्ग के समतुल्य है। **शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा प्रेषित जो "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को हरिद्वार में देय हो"** स्वीकार किया जायेगा। **अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के पीछे अपना नाम, तथा पता अवश्य लिखें।** अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(08) आवेदन पत्र के साथ 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे जिस पर पद का नाम तथा विज्ञापन संख्या अंकित हो तथा अभ्यर्थी का पूरा पता लिखा हो, भेजा जाना आवश्यक है। **(अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर डाक टिकट चस्पा न करें)**

(09) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(10) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अत्याधिक आवेदन पत्र आने पर स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

(11) स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में जिला हरिद्वार में स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर ही परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।

(12) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(13) अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(14) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए अतः वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुसार अर्ह हैं।

(15) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(16) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाएं कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(17) किसी अनाचार जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने आदि के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग को होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के आगामी चयनों से 05 वर्षो की अवधि के लिए प्रतिवारित भी किया जा सकता है।

(18)कदाचार अर्थात् परीक्षाभवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार या अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस निर्देश की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है और उनके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(19) पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग को भेजे जाने वाले पत्रों में आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या तथा जन्म तिथि का उल्लेख करते हुए प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति अवश्यक संलग्न करें।

(20) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(21) **लोक सेवा आयोग परिसर में अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन/संचार तंत्र का प्रयोग प्रतिबन्धित है।**

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव।

परिशिष्ट–1

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2 एवं चिकित्साधिकारी विशेषज्ञ (उप–संवर्ग) पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

आवेदन –पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 05 जनवरी ,2012

आवेदन शुल्क का विवरण (**मूल बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर अवश्य संलग्न करें**)

बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर का नम्बर एवं जारी करने की तिथि	बैक/डाकघर का नाम स्थान/ जिला सहित	धनराशि	कार्यालय की टिप्पणी
1	2	3	4

1. विज्ञापन संख्या ....

2. विभाग संख्या (विज्ञापन के अनुसार) ....

3. पद एवं आवेदित शाखा का नाम ....

4. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

(1) हिन्दी में ....

(2) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) ....

5. पिता/पति का नाम ....

केवल वक्ष तक की एक नवीनतम पासपोर्ट फोटो (अभिप्रमाणित) यहॉ पर चिपका दें और तिथि सहित अपना हस्ताक्षर भी करें।

6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

तिथि		माह		वर्ष			

नोट : प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति भी संलग्न करें।

7. आयु 01 जुलाई, वर्ष 2011 को

वर्ष		माह		दिन	

8. क्या आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को आप आवेदित पद के लिए पूर्ण अर्हता रखते हैं ? हॉ/नहीं ....

9. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी है ? हॉ/नही

10. यदि “हॉं” तो आरक्षण की जिस श्रेणी का लाभ चाहते हैं, नीचे दिये गये बॉक्स में √ का निशान लगाएं (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के दावे की पुष्टि में नवीनतम शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटों प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

उत्तराखण्ड अनु0जा0	**उत्तराखण्ड अनु0जनजाति**	**उत्तराखण्ड पिछड़ी जाति**	**उत्तराखण्ड स्व0सं0से0**	**उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/ आश्रित**

			अन्धापन	**बधिर**	**शारीरिक**
उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक	**उत्तराखण्ड महिला**	**उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी**	**उत्तराखण्ड विकलांग**		

नोट : विकलांग अभ्यर्थी अपनी विकलांगता से सम्बन्धित श्रेणी को ही चिन्हित करें।

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) लिखें ....

12. (क) स्थाई पता –...

.... पिन कोड ....दूरभाष सं0 : ....

(ख) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता .....

.....पिन कोड .....दूरभाष सं0 : .....(पता परिवर्तन होने की सूचना तत्काल दें)

13. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण :–

	बोर्ड / वि0वि0	वर्ष	विषय	श्रेणी	पूर्णांक / प्राप्तांक	प्रतिशत	संस्था का नाम
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
अन्य (शैक्षिक / प्राविधिक अर्हताओं का विवरण							

नोटः (1) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के सभी वर्षों / सेमेस्टरों की अंक तालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) यदि गणना ग्रेड में हो तो अंक तालिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अंकों (प्रतिशत) को दर्शाना अनिवार्य है।

14. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद में सम्कय् रुप से पंजीकृत है ? हॉ / नहीं

यदि हॉ तो पंजीकरण की तिथि .....

(केवल पशुचिकित्साधिकारी पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भरें)

15. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत संविदा के आधार पर अतिदुर्गम / दुर्गम स्थलों पर सेवा की गई है ? हॉ / नहीं

यदि हॉ तो सेवा की अवधि .....

(केवल चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग) पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भरें तथा प्रमाण पत्र भी अवश्य संलग्न करें)

16. शोध कार्य एवं अन्य विवरण (यदि कोई हो)

17. अनिवार्य / अधिमानी अर्हताओं संबंधित अन्य विवरण (यदि कोई हो)। अभ्यर्थी अपने दावे के सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरण दें .....

18. अनुभव का विवरण :–

पदनाम	वेतनमान	सेवावधि (प्रारम्भ से अब तक)	कुल अनुभव	संस्था का नाम (सरकारी / गैर सरकारी)	अन्य

19. क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा अयोग द्वारा प्रतिवारित (Debar) किए गए हैं ? यदि हॉ, तो कारण एवं अवधि का उल्लेख करें ? उत्तर हां या नहीं में अंकित करें .....

20. क्या अभ्यर्थी ने अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड तथा अपना पता लिखे हुए 23×10 से0मी0 आकार के दो लिफाफे संलग्न किये हैं, उत्तर हां या नहीं में अंकित करें .....

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूॅ कि मैने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं यह मुझे मान्य है और मै वह शर्तें पूरी करता / करती हूॅ ।

2. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूॅ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण / सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैने इस विवरण / सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण / सूचना असत्य या गलत पाई जाये

या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।

3. मैं राज्य सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक .....को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।
4. मैंने इस आवेदन पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी है। इनमें कोई कमी पाई जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

संलग्नकों की संख्या –

1. अंकों में .....
   शब्दों में .....
2. विवरण.....
   दिनांक .....
   स्थान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा)

विशेष अनुदेश :

1. अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण–पत्रों यथा अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के अभाव में आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .....निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .. ..जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर..... .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
मुहर :
पदनाम .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

कार्यालय .....

संख्या..... **आवेदन पत्र संख्या .....**

श्री ..... पटवारी/लेखपाल/रा0नि0/ना0तह0 .... की आख्या दिनांक ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... माता श्रीमती ..... निवासी ग्राम.....पट्टी/ले0क्षे0 .... तहसील ..... जिला..... उत्तराखण्ड के राज्य के .... के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ..... उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या– 22/16, 92–का/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... पट्टी/ले0क्षे0..... तहसील ..... नगर .... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी .....
(सील) .....

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4
फार्म–1
(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री .....से दिनांक .....(स्थान का नाम) में आयोजित .....कीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया गया।

(यहॉ संस्था का नाम दिया जाए)

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .....राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री..... निवासी .....(पूरा पता)..... ने दिनांक.....से दिनांक ..... तक ..... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान).....आयोजित राष्ट्रीय ....में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र .....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की और से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता)..... विश्वविद्यालय की कक्षा .....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद .....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम .....
संस्था का नाम.....
मुहर .....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्ड .....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .....निवासी (पूरा पता).....में ....स्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद नाम .....

संस्था का नाम.....

मुहर .....

<u>नोटः–</u> यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाईरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु ..... लिंग ..... पहचान चिन्ह .....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
(i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना
(i) डी–बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(डा0.....) (डा0.....) (डा0.....)

सदस्य सदस्य सदस्य

चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।